No. A.12026/1/2010-Admn. II Directorate General of Health "Services Admn. II Section

Nirman Bhawan, New Delhi, Dated the June, 2011.

CIRCULAR

Subject:- Filling up of the vacant post of Junior Hindi Translator in the office of the Directorate General of Health Services, Nirman Bhawan, New Delhi on adhoc basis – regarding.

It is proposed to fill up one post of Junior Hindi Translator in the office of the Dte. Genl. of Health Services, Nirman Bhawan, New Delhi on ad-hoc basis. The ad-hoc appointment will be governed by the relevant rules and the initial appointment shall i.e. for a period of one year or till a regular incumbent joins whichever is earlier. The details of vacancy and eligibility criteria are as under:-

Junior Hindi Translator Group 'B' Non-Gazetted/Non-Ministerial post.

i) Name of post : Junior Hindi Translator

ii) No. of vacancy : one post

iii) Pay Scale & allowance : PB-2 (Rs. 9300-34,800) + Grade Pay Rs. 4200/

iv) Eligibility criteria : Officers of Central Government

a)(i) holding the analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii)having three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii)having six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post

in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre of department; or

- iv) having ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4000-0000 or equivalent in the parent cadre or department; and
- b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment as laid down in Schedule VII
- (I) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; Or

Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or

Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English as compulsory or elective subjects of either or the two as medium of examination and the other as a compulsory r elective subject at degree level; or

(II)Recognized Diploma or /certificate Course in translation from Hindi to English and viceversa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking.

Desirable

(i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.

(ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University.

It is requested that the applications from eligible candidates may please be sent in the enclosed proforma to the undersigned within 30 days from the date of issue of circular.

The person finally selected will not be allowed to withdraw his/her candidature.

(Prem Prakash) Deputy Director Admn.

(G)

- 1. All Sections/Cells in the Dtc. GHS/Ministry of Health & FW.
- 2. NIC with the request to post the circular on web site.

संख्या ए. 12026/1/2010- प्रशासन-11 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (प्रशासन-11 अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली दिनांक : 15 कि के 2011

परिपत्र

विषय :- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में किनष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पद को तदर्थ आधार पर भरने के संबंध में |

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का एक पद तदर्थ आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है । तदर्थ नियुक्ति संगत नियमों के अधीन होगी और प्रारम्भिक नियुक्ति एक वर्ष की अविध के लिए अथवा नियमित किनष्ठ अनुवादक के आने तक अथवा दोनों में से जो भी पहले हो, तक होगी । नियुक्ति का ब्यौरा और पात्रता मानदण्ड नीचे दिए गए हैं:-

किन्छ हिंदी अनुवादक समूह 'ख' अराजपत्रित / अनुसचिवीय पद

- I. पद का नाम: कनिष्ठ हिंदी अनुवादक
- II. रिक्तियों की सं. : एक
- III. वेतनमान एवं भत्ते : पी बी -2 (9300 34,800) + 4200 /- रु0 ग्रेड वेतन
- IV. पात्रता मानदण्ड : केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो
 - क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हैं, अथवा
 - (ii) 5000 8000 रु0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चूके अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में इसके समकक्ष, अथवा
 - (iii) 4500 7000 रु0 के वेतन मान में नियमित आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद छ: वर्ष की सेवा पूरी कर चूके अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में इसके समकक्ष, अथवा
 - (IV) 4000 6000 रु0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में इसके समकक्ष, और
 - (ख) सीधी भर्ती के लिए निधारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हो जैसा कि अनुसूची VII में बताया गया है

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम के साथ स्नातोकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा माध्यम के रूप में रहे हों, अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष से हिंदी अथवा

अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में स्नात्तोंकोत्तर डिग्री और साथ में डिग्री स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हो अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य अथवा मुख्य विषय के रूप में हो, अथवा

- (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा /प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रमों समेत केंद्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव | वांक्रनीय
- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा इसके समकक्ष से दसवीं के स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से हिंदी के अतिरिक्त किसी एक भाषा का ज्ञान |
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की डिग्री अथवा डिप्लोमा |

अनुरोध है कि पात्र अम्यर्थियों के आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को भेज दिए जाएं |

अन्तिम रूप से चयनित व्यक्ति को अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी !

(प्रेम प्रकाश)

उप — निदेशक प्रशासन (सा.)

सेवा में.

- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अनुभाग /सैल
- 2. एन आई सी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे वेबसाइट पर डाल दें।